प्रेस नोट
जनपद – सोनभद्र
दिनांक – 25.05.2026

सोनभद्र पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई, गैंगस्टर एक्ट के प्रकरण में अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ महोदय एवं श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर के कुशल पर्यवेक्षण तथा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र के नेतृत्व में जनपद सोनभद्र में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में '#OperationConviction' के तहत सोनभद्र पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। प्रभावी विवेचना, सशक्त साक्ष्य संकलन एवं पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के प्रकरण में अभियुक्त को मा० न्यायालय एएसजे (एफटीसी)-14 वां वित्त आयोग/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट द्वारा दोषसिद्ध कर मा० न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

थाना – बभनी, जनपद सोनभद्र

मु0अ0सं0 – 98/2009

धारा – 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट

अभियुक्त – बाबूलाल पुत्र शीतल निवासी कुशफर (कुशकर), थाना सनावल, जनपद सरगुजा, छत्तीसगढ़, हालपता-रेहन्द, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र।

मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा

मा० न्यायालय एएसजे (एफटीसी)-14 वां वित्त आयोग/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, सोनभद्र द्वारा अभियुक्त बाबूलाल उपरोक्त को धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में 10 वर्ष के कारावास एवं ₹5,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

सजा दिलाने में सराहनीय भूमिका

उक्त प्रकरण में थाना बभनी पुलिस, विवेचक, कोर्ट मोहर्रिर, अभियोजन पक्ष एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत एवं प्रभावी पैरवी करते हुए न्यायालय के समक्ष ठोस एवं सशक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके फलस्वरूप अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा दिलाई जा सकी। सोनभद्र पुलिस अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।